126

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल,ग्वालियर

R. 2052-I/14 प्र.क

राधेश्याम पिता उंकारलालजी अग्रवाल,

निवासी पिपलियामंडी तहसील मल्हारगढजिला मंदसौर ....प्रार्थी

बनाम

1.मोहनलाल पिता उंकारलालजी अग्रवाल,

निवासी पिपलियामण्डी तहसील मल्हारगढ,जिला मंदसोर

2.म0प्र0शासन

..................................विपक्षी

निगरानी तहत धारा 50 म.प्र.भु.रा.संहिता 1959.

बनाराजी आदेश दिनांक 20.6.2014 प्र0क0 87/11-12 निगरानी न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर महोदय मंदसौर (राधेश्यांम वि0मोहनलालआदि)में पारीत आदेश से असंतुष्ट होकर निगरानी समयावधि में निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर निम्न निगरानी ज्ञाप पेश है ।

//प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य//

1. यह कि,भुमि सर्वे नंबर 370 जो कि ग्राम पिपल्यापंथ की भुमि है जिसका रकबा 0.399 आरी है उसमे से 0.50 आरी भुमि संबंध में विपक्षी कमांक 2 के द्वारा म.प्र.भु.रा.संहिता 1959 के तहत धारा 248 के अंतर्गत अ-68 का प्रकरण दर्ज किया और विपक्षी कमांक 1 व प्रार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर करते हुए ताबड तोड तरीके से एकपक्षीय आदेश विचारणीय न्यायालय तहसीलदार महोदय मल्हारगढ के द्वारा आदेश पारीत कर दिया गया जिसके विरूद्ध विपक्षी कमांक 1 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय मल्हारगढ के यहां अपील प्रस्तुत की गयी जो कि पक्षकार के अनुपस्थित रहने पर और अपील निरस्त कर दी गयी । और मोहनलाल के अभिभाषक के द्वारा अपील को पुनःनंबर पर लेने बाबत आवेदन पेश किया गया उसको भी निरस्त किया गया। जिसके विरूद्ध विपक्षी कमांक 1 के द्वारा कमिश्नर महोदय उज्जैन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो अपील दर्ज की गयी और उक्त अपील कमिश्नर उज्जैन के द्वारा स्वीकार की गयी। और रिमाण्ड की गयी और अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ का आदेश निरस्त किया गया । ततपश्चात प्रकरण में प्रार्थी व विपक्षी कमांक 1 के तर्क सुनने के पश्चात प्रकरण रिमाण्ड किया गया। उक्त रिमाण्ड आदेश के विरूद्ध प्रार्थी के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय अति कलेक्टर महोदय मंदसोर के समक्ष निगरानी महत्वपूर्ण कानुनी बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत की गयी थी जो अधिनस्थ निगरानी न्यायालय के द्वारा निरस्त करने मे गम्भीर कानुनी भुल की है इन कारणों के अलावा निम्न आधार पर यह निगरानी पेश है।

XXIX(a)-BR(H)-11

126

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2057-एक/14 **जिला-** उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.डी. शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	